भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4652
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को दिया जाना है

न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा)

4652. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः

क्या विधि और न्याय मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "दिशा" तंत्र के अंतर्गत प्रदान की गई मुकदमे पूर्व विधिक सलाह की संख्या सहित टेली-लॉ कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा और जलगांव जिले का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विशेषकर दक्षिण गुजरात सहित आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से टेली-लॉ सेवाओं के प्रचालन की स्थिति क्या है और डिजिटल पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवाएं) कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है और निःशुष्क सेवाओं की निगरानी और समन्वय के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में क्या संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं ;

(घ) न्याय सहायकों और अर्ध-न्यायिक स्वयंसेवकों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता के अंतिम छोर तक सुपुर्दगी को सुदृद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच का मूल्यांकन करने के लिए किया गया प्रभाव आकलन क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : 28 फरवरी, 2026 तक, टेली-लॉ (दूर-विधि) कार्यक्रम के आरंभ से अब तक 1.12 करोड़ से अधिक मुकदमेबाजी-पूर्व विधिक सलाहें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इनमें महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध कराई गई 8,72,704 मुकदमेबाजी-पूर्व विधिक सलाहें सम्मिलित हैं, जिनमें से 9,278 जलगांव जिले में उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यवार विवरण उपाबंध में दिया गया है।

(ख) : 28 फरवरी, 2026 तक, 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 777 जिलों में 25 लाख सामान्य सेवा केंद्रों (सी.एस.सी.) के नेटवर्क के माध्यम से टेली-लॉ सेवाएं संचालित हैं जिनमें 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉक सम्मिलित हैं और इनमें दक्षिण गुजरात भी सम्मिलित है। आकांक्षी ब्लॉकों में सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने के लिए, न्याय सहायकों को नियुक्त किया गया है जो आकांक्षी ब्लॉकों में सामुदायिक आधारित विधिक सुविधाकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। सी.एस.सी. में

उपलब्ध वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से मुकदमे से पूर्व की सलाह प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से डिजिटल पहुंच को बढ़ाया गया है।

(ग) : न्याय बंधु (नि:शुल्क विधिक सेवाएं) कार्यक्रम के अधीन, अधिवक्ता स्वेच्छा से समाज में दूरस्थ पड़े और वंचित वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करते हैं, जो विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत आते हैं। 28 फरवरी, 2026 तक, न्याय बंधु पोर्टल पर कुल 10,263 अधिवक्ता पंजीकृत हैं। संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश भर के 23 उच्च न्यायालयों में नि:शुल्क विधिक पैनल गठित किए गए हैं।

(घ) : आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायक कार्यरत हैं, जहाँ वे घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाते हैं, सी.एस.सी. के माध्यम से टेली-लॉ प्लेटफॉर्म पर मामले दर्ज कराने में नागरिकों की सहायता करते हैं और लाभार्थियों को पैनल वकीलों से मुकदमे से पहले की सलाह प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे सी.एस.सी. संचालकों, स्थानीय संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं ताकि पहुंच का विस्तार किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक सहायता दूरस्थ और वंचित आबादी तक पहुंचे।

(ङ) : मैसर्स भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) ने दिशा (अर्थात डी.आई.एस.एच.ए.) योजना का तृतीय-पक्षकार मूल्यांकन और प्रभाव आंकलन किया है और महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों सहित वंचित समुदायों के लिए योजना की प्रासंगिकता को उजागर किया है।

उपाबंध

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या **4652** के उत्तर में श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल और अन्य सांसदों द्वारा न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन (डी.आई.एस.एच.ए.) के विवरण और **28** फरवरी, **2026** तक राज्यवार मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह के विवरण के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य

क्रमांक	राज्य	दी गई कुल सलाह
1	अंदमान और निकोबार	4,018
2	आंध्र प्रदेश	3,66,071
3	अरुणाचल प्रदेश	20,363
4	असम	2,40,397
5	बिहार	6,26,006
6	चंडीगढ़	6,146
7	छत्तीसगढ़	5,09,230
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	11,051
9	दिल्ली	10,512
10	गोवा	13,516
11	गुजरात	4,83,643
12	हरियाणा	2,18,794
13	हिमाचल प्रदेश	1,20,670
14	जम्मू - कश्मीर	7,58,123
15	झारखंड	4,80,257
16	कर्नाटक	4,88,245
17	केरल	36,563
18	लद्दाख	3,251
19	लक्षद्वीप	2,482
20	मध्य प्रदेश	12,16,983
21	महाराष्ट्र	9,27,522
22	मणिपुर	1,484
23	मेघालय	30,320
24	मिजोरम	34,051
25	नागालैंड	29,897
26	ओडिशा	4,07,800
27	पुडुचेरी	3,228
28	पंजाब	3,01,498
29	राजस्थान	6,62,392
30	सिक्किम	2,815
31	तमिलनाडु	3,01,871
32	तेलंगाना	3,13,107
33	त्रिपुरा	97,616
34	उत्तर प्रदेश	20,31,066
35	उत्तराखंड	2,18,632
36	पश्चिमी बंगाल	2,68,025
कुल		**1,12,47,645**

स्रोत- https://tele-law.in/ (टेली-लॉ डैशबोर्ड डाटा)
